// I

# राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड।

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

*Email : jsec-jhr@nic.in*

दूरभाष– 0651–2284012, 9264474491 फैक्स–0651–2280287

पत्रांक–03–नि0 प0–61/2022 रा0नि0आ0– 1475 /

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव ।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–उपायुक्त,
जामताड़ा।

राँची, दिनांक– 28 / 05 / 2022

**विषयः–** **त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 : पुनर्मतदान के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–378/पं0नि0 दिनांक–27.05.2022 एवं पत्रांक–380/पं0नि0 दिनांक–27.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा जामताड़ा जिलान्तर्गत जामताड़ा प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या– 94, उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन, सोनबाद(पूर्वी भाग) में पंचायत समिति सदस्य के पद हेतु पुनर्मतदान संबंधी प्रतिवेदन सहित सामान्य प्रेक्षक द्वारा भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा के पश्चात् निदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग का अभिमत है कि उक्त मतदान केन्द्र के संबंध में पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हुई है। अतः झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 73 के अधीन आयोग का यह निर्देश है कि संबंधित मतदान केन्द्र पर निम्न विवरणी के अनुसार पुनर्मतदान कराना सुनिश्चित किया जाय :–

| क्र0 सं0 | प्रखण्ड का नाम | मतदान केन्द्र संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम | पद का नाम | पुनर्मतदान की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जामताड़ा | 94– उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन, सोनबाद(पूर्वी भाग) | पंचायत समिति सदस्य | **29.05.2022 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक** |

संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तत्काल इस आशय की सूचना उपलब्ध करा दी जाय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

28/5/22

**सचिव**

राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची ।